

मध्यप्रदेश शासन

वित्त विभाग

वल्लभ भवन, मंत्रालय भोपाल

कमांक एफ 1167/1278/932/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17-09-2020
प्रति,

✓ प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
जनसंपर्क विभाग
मंत्रालय भोपाल

विषय :- मध्यप्रदेश बुक आफ फायनेशियल पावर्स -1995 भाग-2 के अन्तर्गत वित्तीय अधिकारों का प्रत्यायोजन ।

संदर्भ :- वित्त विभाग का आदेश कमांक एफ 1014/932/2020/नियम/चार
भोपाल दिनांक 21-08-2020

// आंशिक संशोधन //

संदर्भित पत्र से जारी आदेश के पृष्ठ-5 पर कण्डिका कमांक 28 के कालम 4 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता :-

क्र	विवरण	वित्तीय शक्तियों का प्रयोजन करने वाले अधिकारी	प्रत्यायोजना की सीमा		शर्तें
			पूर्व में	अद्यतन	
1	2	3	4	5	6
28	किसी शासकीय तथा अशासकीय संस्थान/संगठन की स्मारिका प्रदर्शन विज्ञापन जारी करने की शक्ति	1. प्रशासकीय विभाग 2. आयुक्त जनसंपर्क	रु 1.00 लाख प्रति स्मारिका रु 25000/ःप्रति स्मारिका	पूर्ण शक्ति रु 1.00 लाख प्रति स्मारिका	वार्षिक आवंटन की सीमा के अध्याधीन

शेष यथावत रहेगा।

(अखिल कुमार वर्मा)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग

पृष्ठांकन कमांक एफ 1168/1278/932/2020/नियम/चार भोपाल, दिनांक 17-09-2020

प्रतिलिपि :-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी/ऑडिट) 1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/भोपाल
2. आयुक्त कोष एवं लेखा मध्यप्रदेश।
3. सहायक संचालक, वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली, वल्लभ भवन भोपाल की ओर सूचनार्थ ।

(विवेक कुमार धारू)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग